उपभोक्ता कानून के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत – एम.एल. मेहता

जयपुर, 15 दिसम्बर, 2010

''उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए उपभोक्ता कानून शक्तिशाली कानून है। उपभोक्ता कानून को और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है।'' उक्त विचार पूर्व मुख्य सचिव श्री एम.एल. मेहता ने आज 'कट्स' द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। उक्त सम्मेलन 'कट्स' द्वारा भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान के 12 जिलों में संचालित ''ग्रासरूट रीचआउट एण्ड नेटवर्किंग इन राजस्थान थ्रू कन्ज्यूमर एक्शन'' नामक परियोजना के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।

श्री मेहता ने आगे कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून को बने हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, इस कानून का लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए था, उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए यह कानून बनाया गया है। अगर इतने वर्ष बाद भी इस कानून की पूरी तरह से पालना नहीं हो रही है, तो उपभोक्ता हितार्थ सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा सरकार को एक कानूनी नोटिस देना चाहिए। साथ ही, राज्य में माननीय विधायकगण विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाए।

इससे पूर्व 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने संभागियों का स्वागत करते हुए इस परियोजना के तहत एक वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि परियोजना गतिविधियों के दौरान देखने में आया है कि राज्य में उपभोक्ता संरक्षण कानून के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन प्रत्येक जिले में होना चाहिए, लेकिन राज्य के किसी भी जिले में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन नहीं हुआ है। अधिकतर जिला उपभोक्ता मंचों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त हैं। उपभोक्ता कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनका कोई निदान नहीं है।

'कट्स' के कार्यक्रम अधिकारी दीपक सक्सेना ने उक्त परियोजना के प्रथम वर्ष की गतिविधियों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण करते हुए परियोजना गतिविधियों के माध्यम से निकलकर आए मुख्य मुद्दों का उल्लेख किया।

इस कार्यक्रम में राज्य के विधायक श्री राव राजेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत में 75 प्रतिशत किसान हैं, जो कि शोषण के शिकार हो रहे हैं। किसान जो बीज खरीद रहे हैं वो भी मिलावटी या नकली होते हैं जिससे किसानों को बहुत अधिक हानि होती है। नकली बीज खरीद पर कार्यवाही हेतु कोई कानून नहीं बना हुआ है। जो कीटनाशक दवाइयां भारत से बाहर के देशों में प्रतिबन्धित हैं, वे भारत में आसानी से उपलब्ध हैं, जो कि जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर करती हैं। साथ ही बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं को आकर्षित तो कर रही हैं, लेकिन उससे होने वाले जोखिमों के बारे में अवगत नहीं कराती हैं। इस तकनीकी युग में उपभोक्ताओं को सशक्त होकर और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है।

अन्य विधायक श्री सुखराम कोली ने बताया कि शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता तो जागरूक है, परंतु ग्रामीण उपभोक्ता जागरूकता के अभाव में शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर मिलावटी

सामानों के परीक्षण के लिए एक लैब होना आवश्यक है। जिला उपभोक्ता मंचों में वकीलों को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए।

जयपुर जिला उपभोक्ता मंच के पूर्व अध्यक्ष श्री हनीफ मोहम्मद ने कहा कि राज्य में मिलावटी व नकली सामानों की जांच के लिए लेबोरेटरी नहीं है। केन्द्र व राज्य सरकार भी उपभोक्ता है, लेकिन इनकी तरफ से कोई मामला आज तक उपभोक्ता मंच में दायर नहीं किया गया। सरकारे भी वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीददारी करती हैं। उपभोक्ता संस्थाओं को उपभोक्ताओं के हित में शिकायतें जिला उपभोक्ता मंचों में दर्ज करवानी चाहिए।

'दि हिन्दु' के वरिष्ठ पत्रकार सन्नी सेबस्टेन ने कहा कि जिला उपभोक्ता मंचों में अध्यक्ष व सदस्यों के पद रिक्त होने से उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दुकानों में उपभोक्ताओं को मिलने वाले नकली सामानों पर भी तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए।

चुरू जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष जी.पी. गुप्ता ने कहा कि जिला उपभोक्ता मंचों को सरकार की ओर से ढ़ांचागत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। अधिकतर जिलों में अधीनस्थ कर्मचारियों की कमी हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थाएं भी उपभोक्ताओं का शोषण कर रही हैं।

कार्यक्रम के अंत में 'कट्स' के अमरजीत सिंह ने सभी भागीदारों को धन्यवाद ज्ञापित किया। उक्त कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों, जन प्रतिनिध्यिों, मीडिया और 12 जिलों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों व अन्य व्यक्तियों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दी। उपस्थित भागीदारों ने उपभोक्ता हितार्थ अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
दीपक सक्सेना (93513 66827) / अमरजीत सिंह (98290 15812)
'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग
डी– 222, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर–302 016, भारत
दूरभाषः 91–.5133259, 2282821 / 2282482
फैक्सः 91–141–4015395
ईमेलः granirca@cuts.org ; cart@cuts.org
वेबसाइटः http:/www.cuts-international.org/cart/Granirca